

519 पत्रावली पेश हुई. वकूलाप अधिकता पक्षकारान्
उपस्थित, अधिकता प्रार्थी ने न्यायालय के
समक्ष यह जाहिर किया की उनको पक्षकार की
ओर से प्रावपत्र में पैरवी करने के लिए कोई
भी निर्देश नहीं है। प्रार्थी अधिकता द्वारा प्रार्थी
को प्रार्थना पत्र के संबन्ध में सूचित भी किया
जाना बताया है।

No instructions
↓

अधिकता (अ. म.)
16/5/19

इस कारण प्रार्थी द्वारा आज दिनांक को प्रार्थी
अधिकता को कोई हिदायत पैरवी नहीं होने
से एवं प्रार्थी के स्वयं के अनुपस्थित होने से
प्रार्थना पत्र आज दिनांक को अदम पैरवी में
स्वारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण
के अधिकता ने भी अपना उपस्थिति दर्ज करायी
है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी
अदम हाजरी में स्वारीज किया जाकर पत्रावली
फैसल शुमार लेकर मूल कादपत्र के साथ
संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला नीलवाड़ा